न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
99 / 2023 प्रा.पत्र / 2023	18.09.2023	06.12.2024

सत्यनारायण गूर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री महेन्द्र विजय पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार विजय निवासी जसवन्त नगर के सामने डाईट रोड टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स के.आर. ट्रेडर्स राज टॉकीज के पास टोंक जिला टोंक। पिनकोड– 304001 मोबाईल नं. 9252008951

2–श्री राजेन्द्र कुमार विजय पुत्र श्री राधाकिशन विजय निवासी जसवन्त नगर के सामने डाईट रोड टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स के.आर. ट्रेडर्स राज टॉकीज के पास टोंक जिला टोंक। पिनकोड– 304001

3–मैसर्स के.आर. ट्रेडर्स राज टॉकीज के पास टोंक जिला टोंक। पिनकोड– 304001

4–श्री पुलकित पाटोदिया पुत्र श्री विनोद पाटोदिया निवासी बी–18, मन्दिर मार्ग, सुभाष नगर, गोयल अस्पताल के सामने, जयपुर राज. प्रोपरायटर मैसर्स एस.के. फूड्स प्लॉट नं. 796 बी रोड नं. 14 वीकेआई एरिया जयपुर राज.। पिनकोड–302013

5–मैसर्स एस.के. फूड्स प्लॉट नं. 796 बी रोड नं. 14 वीकेआई एरिया जयपुर राज.।

.......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थी श्री महेन्द्र विजय स्वयं उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 06.12.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.03.2023 को समय 03:00 पी.एम. पर मैसर्स के.आर. ट्रेडर्स राज टॉकीज के पास टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य करोबारकर्ता एवं विकेता की हैसियत से श्री महेन्द्र विजय पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार विजय अपने प्रतिष्ठान मैसर्स के.आर. ट्रेडर्स राज टॉकीज के पास टोंक जिला टोंक पर खादय प्रदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री महेन्द्र विजय पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार विजय को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर महेन्द्र विजय पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार विजय ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विकेता होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाकर श्री राजेन्द्र कुमार विजय पुत्र श्री राधाकिशन विजय को [illegible] प्रोपरायटर होना बताया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ–साथ दुकान की रैक में लगभग 40 मूल पॉली पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 500–500 ग्राम पैक **हल्दी पावडर (टेलिफोन ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री महेन्द्र विजय पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार विजय को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री महेन्द्र विजय पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार विजय व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **हल्दी पावडर (टेलिफोन ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 656 एवं पैकिंग की दिनांक 05.11.2022 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 500–500 ग्राम पैक के 4 मूल पॉली पैक **हल्दी पावडर (टेलिफोन ब्राण्ड)** नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुद **हल्दी पावडर (टेलिफोन ब्राण्ड)** 500–500 ग्राम पैक के 4 मूल पॉली पैक को ज्यों का त्यों कागज के गत्ते के 4 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे में 1–1 पैकेट रखकर डिब्बों के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3479 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3479 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री महेन्द्र विजय पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार विजय ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया। इस बाबत् आवेदक ने विक्रेता को पत्र प्रेषित कर वारन्टी बिल चाहा गया जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स एस.के. फूड्स प्लॉट नं. 796 बी रोड नं. 14 वीकेआई एरिया जयपुर का खरीद बिल क्रमांक 786 दिनांक 05.11.2022 प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/648 दिनांक 17.03.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/539/एक्ट/2023/601 दिनांक 09.03.2023

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **हल्दी पावडर (टेलिफोन ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी श्री महेन्द्र विजय स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर Use By/Expiry मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **हल्दी पावडर (टेलिफोन ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **हल्दी पावडर (टेलिफोन ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 06.12.2024 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय अद्य दिनांक 06.12.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सोकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0